ऑन लाईन नं.GCMS2023/282

न्यायालय : न्यायनिर्णयन अधिकारी एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी : अरविन्द कुमार जाखड़, आर.ए.एस.
न्याय निर्णयन आवेदन सं0 124/2023

श्री कंवरपाल सिंह, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यलय अभिहित अधिकारी, (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर।

बनाम

1. श्री सुनील कुमार पुत्र श्री ओमप्रकाश —विक्रेता एवं मालिक—
मै0 सुनील पनीर हाउस, वार्ड नंबर 21, बालाजी धाम के पास, पदमपुर, श्रीगंगानगर।

अपराध अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा
एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26(2)(ii)/51

निर्णय **दिनांकः 08.12.2023**

सक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि परिवादी श्री कंवर पाल सिंह खाद्य सुरक्षा अधिकारी, का गजट नोटिफिकेशन दिनांक 02.12.2022 के गजट में भाग 1(ख) पर प्रकाशित हुआ है एवं परिवादी का पदस्थापन एवं कार्य क्षेत्र का आवंटन आयुक्त (खाद्य सुरक्षा) निदेशालय राज. जयपुर के आदेश कमांकः—एफएसएसए/2022/6235 दिनांक 22.12.2022 के अनुसार जिला श्रीगंगानगर किया गया एवं संसोधित आदेश कमांकः— आयुक्ता0/खासुऔनि/संस्था/2022/6360 दिनांक 26.12.2022 है। अधिसूचना एवं आदेश की फोटो प्रतियां न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ सलंग्न है।

श्री कंवरपाल सिंह , खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 06.07.2023 को समय दोपहर 01.30 बजे मै. सुनील पनीर हाउस, वार्ड नंबर 2 बालाजी धाम के पास, पदमपुर, श्रीगंगानगर पहुंचे। मौके पर विकेता व मालिक श्री सुनील कुमार को अपना परिचय देकर संस्थान में डी फीज के अंदर रखे खाद्य पदार्थ **पनीर** के बारे में जानकारी चाही, इस पर विकेता ने स्वयं को दुकान का विकेता एवं मालिक होना बताया तथा दुकान में रखे फीज के अंदर रखे तैयार 15 किलोग्राम खाद्य पदार्थ **पनीर** को आमजन के विकय वास्ते होना बताया। **पनीर** में मिलावट का शक होने पर विकेता से नमूना जांच वास्ते खाद्य पदार्थ **पनीर** का नमुना लेने की इच्छा विकेता को फार्म नम्बर 5 ए भरकर देते हुए वरवक्त मौके पर ही विकेता को फार्म नम्बर 5 ए भरकर दिया जिस पर विकेता व गवाहान के व मैने हस्ताक्षर किये।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म नम्बर 5 ए की प्रतियां तैयार कर विकेता एवं मालिक तथा गवाहान को पढकर सुनाकर एवं समझकर हस्तक्षर करने को कहा जिसे श्री सुनील कुमार पुत्र श्री ओमप्रकाश एवं गवाहान ने भी पढकर समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये। फार्म से 5 ए की एक प्रति विकेता एवं मालिक सुनील कुमार पुत्र श्री ओमप्रकाश को देकर असल पर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दुकान का निरीक्षण कर आम जनता को विकय हेतु उपलब्ध **पनीर** 1 किलोग्राम विकेता से खरीद किया। विकेता को मौके पर ही उक्त कयशुदा खाद्य पदार्थ **पनीर** का नगद भुगतान 300/— रूपये किया तथा कैशमीमो बनावाकर लिया जिस पर विकेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर है और खाद्य सुरक्षा अधिकारी के भी हस्ताक्षर है।

ऑन लाईन नं.GCMS2023/282

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा खाद्य पदार्थ **पनीर** को समरूप कर बराबर भागों में बांटकर चार बोतलों में भरकर लिया। प्रत्येक बोतल में फार्मेलिन की 20 बूंदे डालकर कसकर ढक्कन बंद किये और चारो बोतलों पर लेबल तैयार कर चिपकाये और लेबलों पर डी.ओ. श्रीगंगानगर के **कोड व कमांक के–1862** दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये एवं खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक तथा गवाहान के हस्ताक्षर करायें। चारों नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. श्रीगंगानगर की हस्ताक्षरशुदा **पेपर स्लिप के–1862** नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांधकर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आयें। चारों नमूना भागों के पेपर पर गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर कर सील बन्द चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया।

मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक तथा गवाहान को पढकर, सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे सुनील कुमार पुत्र श्री ओमप्रकाश एवं गवाहान ने भी पढकर, समझाकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने फार्म नं 06 की छः प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील मोहर किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 06 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक बीकानेर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की और दो फार्म सं. 06 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बन्द कर चपडी से सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक बीकानेर को जमा कराकर फार्म सं. 6 की पुस्त पर रसीद प्राप्त की एवं शेष दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म संख्या 6 की दो प्रतियों और चौथा भाग मय फार्म संख्या 6 की एक प्रति के आउटर कवर में सील बन्द कर डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

स्टेट सैन्ट्रल पब्लिक हैल्थ लैबोरेटरी, बीकानेर (राजस्थान) द्वारा जारी जांच रिपोर्ट क्रमांक :–L.S.993/Act/2023/993 Dated 20-07-2023 को प्राप्त हुई, जिसके अनुसार खाद्य नमूना **K-1862 Sub-Standard Food** होना पाया गया। इस पर अभिहीत अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर ने प्रकरण में अभियुक्त श्री सुनील कुमार पुत्र श्री ओमप्रकाश मैसर्स सुनील पनीर हाउस वार्ड नं. 21 बालाजी धाम के पास, पदमपुर, जिला श्रीगंगानगर द्वारा अमानक स्तर के **पनीर** का विक्रय किये जाने को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा (ii)/51 के अन्तर्गत न्याय निर्णयन आवेदन दिनांक 13.10.2023 को प्रस्तुत किया गया।

परिवाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अभियुक्त को तलब किया गया। अभियुक्त को परिवाद की प्रति उपलब्ध कराई गई।

अभियुक्त ने अपने जवाब में कथन किया है कि:– प्रार्थी के द्वारा अपनी दुकान पर जिस दूध से उक्त खाद्य पदार्थ पनीर तैयार किया गया है वह दूध मेरे द्वारा बाजार से कय किया गया था। जिसको खरीद करते समय मेरे द्वारा दूध के सैम्पल का माप दण्ड की जांच किए बिना दूध खरीद किया गया था। जिसकी क्वालिटी के बारे में मुझे ईलम नहीं था। ऐसा मैंने

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

जान बूझकर नहीं किया। बिना जांच किए दूध खरीद में बरती गई कोताही को मैं स्वीकार कर रहा हूं। प्रार्थी के द्वारा सबस्टेण्डर्ड फूड का उत्पादन जानबूझकर नहीं किया गया है तथा इसके पीछे मेरी लोगों को हल्की क्वालिटी का दूध उत्पादन पनीर बैचान किए जाने का कतई उद्देश्य नहीं था। प्रार्थी भविष्य में उक्त गलती नहीं करेगा तथा भविष्य में प्रार्थी अच्छी क्वालिटी का दूध से बना उत्पादक बैचान करने के लिए वचनबद्ध रहेगा। सब स्टेण्डर्ड फूड का विकय करने पर एफएसएसए एक्ट 2006 की धारा 51 के अंतर्गत वाजिब जुर्माना अदा कर अपने प्रकरण का निस्तारण करवाना चाहता हूं। अतः नोटिस जवाब श्रीमान जी के समक्ष पेश करके मेरा निवेदन है कि उक्त जवाब नोटिस स्वीकार किया जाकर वाजिब जुर्माना करवाया जाकर मेरे विरूद्ध लम्बित कार्यवाही निरस्त फरमाई जावे एवं प्रकरण का निस्तारण कर दफ्तर दाखिल किया जावे आपकी अति कृपा होगी।

परिवाद पर दोनों पक्षों को सुना गया।

राज पैरोकार ने अपनी बहस में बताया कि अभियुक्त से लिया गया **पनीर** का सैम्पल **K-1862** जांच रिपोर्ट क्रमांक :– L.S.993/Act/2023/993 Dated 20-07-2023 द्वारा **Sub-Standard Food** होना पाया गया है। अतः अभियुक्त के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा (2)(ii) का उल्लधन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 में निर्धारित है।

अभियुक्त ने अपने जवाब में कथन किया है कि:– प्रार्थी के द्वारा अपनी दुकान पर जिस दूध से उक्त खाद्य पदार्थ पनीर तैयार किया गया है वह दूध मेरे द्वारा बाजार से कय किया गया था। जिसको खरीद करते समय मेरे द्वारा दूध के सैम्पल का माप दण्ड की जांच किए बिना दूध खरीद किया गया था। जिसकी क्वालिटी के बारे में मुझे ईलम नहीं था। ऐसा मैंने जान बूझकर नहीं किया। बिना जांच किए दूध खरीद में बरती गई कोताही को मैं स्वीकार कर रहा हूं। प्रार्थी के द्वारा सबस्टेण्डर्ड फूड का उत्पादन जानबूझकर नहीं किया गया है तथा इसके पीछे मेरी लोगों को हल्की क्वालिटी का दूध उत्पादन पनीर बैचान किए जाने का कतई उद्देश्य नहीं था। प्रार्थी भविष्य में उक्त गलती नहीं करेगा तथा भविष्य में प्रार्थी अच्छी क्वालिटी का दूध से बना उत्पादक बैचान करने के लिए वचनबद्ध रहेगा। सब स्टेण्डर्ड फूड का विकय करने पर एफएसएसए एक्ट 2006 की धारा 51 के अंतर्गत वाजिब जुर्माना अदा कर अपने प्रकरण का निस्तारण करवाना चाहता हूं। अतः नोटिस जवाब श्रीमान जी के समक्ष पेश करके मेरा निवेदन है कि उक्त जवाब नोटिस स्वीकार किया जाकर वाजिब जुर्माना करवाया जाकर मेरे विरूद्ध लम्बित कार्यवाही निरस्त फरमाई जावे एवं प्रकरण का निस्तारण कर दफ्तर दाखिल किया जावे आपकी अति कृपा होगी।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

इस प्रकार अभियुक्त से लिया गया Sample of **"Paneer" bearing Code No and Sr. No. K-1862, of Designated Officer cum Chief Medical & Health Officer, Sri Ganganagar is Sub-Standard Food as it does not conform to the prescribed standard of Food Safety and standards(Food Products Standards and Food Additive) Regulation, 2011.** की जॉच रिपोर्ट पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है।

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

ऑन लाईन नं.GCMS2023/282

फलस्वरूप अभियक्त सुनील कुमार पुत्र श्री ओमप्रकाश को एफएसएस एक्ट 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (ii) के अन्तर्गत घटित अपराध का दोषी पाया जाता है। फलतः अभियुक्त सुनील कुमार पुत्र श्री ओमप्रकाश को खादय सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 के अन्तर्गत राशि रूपये 20,000—00 (अखरे रूपये बीस हजार मात्र) के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता है।

अभियुक्त को यह निर्देश दिये जाते है कि भविष्य में सुनील कुमार पुत्र श्री ओमप्रकाश खाद्य पदार्थ में डालने के लिए उच्च गुणवत्ता के घटकों का इस्तेमाल करें, ताकि ऐसे खाद्य पदार्थों से उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। इन आदेशों की पालना सख्ती से की जावे। निर्णय की प्रति मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को पालनार्थ भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 08.12.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अरविन्द कुमार जाखड़)
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट(प्रशा0)
श्रीगंगानगर।

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर